

बिहार सरकार  
गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

शुद्धि पत्र

गृह विभाग (आरक्षी शाखा), पटना के स्वीकृत्यादेश सं०-6/योजना-01-50/2016गृ०आ०-705, दिनांक-25.01.2017 की कंडिका-3 में अंकित "राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप महानिरीक्षक-सह-उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवा, बिहार पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी", के स्थान पर "राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी" संशोधित रूप से पढ़ा जाय।

2. उपर्युक्त विमुक्तादेश की अन्य बाते एवं शर्ते यथावत रहेगी।

ह०/-

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं०-6/योजना-01-50/2016गृ०आ०...../पटना, दिनांक 22 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक०), बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/उप महानिरीक्षक-सह-उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना/ समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, पटना /आई०टी० प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव